प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 09 जून, 2026

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी मनीष पुत्र श्री गजोधर, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-30968/प्रोवेशन-3फार्म-ए/(एम0-28-07-2025) दिनांक-01.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी मनीष पुत्र श्री गजोधर, अढावल खुर्द, थाना-राम कोट, वर्तमान थाना-खैराबाद जनपद-सीतापुर का निवासी है। दहेज में अतिरिक्त 50,000/- रूपये की मॉग को लेकर दिनांक 27/28.11.2010 की रात्रि को बंदी ने मिट्टी का तेल डालकर अपनी पत्नी रूचि की जलाकर हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-775/2011 में भा०द०वि० की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट (न्यू), सीतापुर के आदेश दिनांक 15.02.2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है, बंदी द्वारा दिनांक 07.05.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 01 माह तथा 16 वर्ष, 01 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने अभियुक्त व वादी के परिजनों की सुरक्षा व न्यायहित में जेल में निरूद्ध रखना आवश्यक होने, अभियुक्त की रिहाई से दोनों पक्षों में तनाव व कसीदगी व्याप्त होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दहेज में अतिरिक्त 50,000/- की मांग कोलेकर दिनांक 27/28.11.2010 को रात्रि को बंदी ने मिट्टी का तेल डाकर अपनी पत्नी श्रीमती रूचि की जलाकर हत्या किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बदी मनीश पुत्र गजोधर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है आदर्श कारागार, लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी मनीष (बन्दी संख्या-17506) पुत्र श्री गजोधर, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-713/2026/1585(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-713/2026/1585/22-2-2025-17(1048)/2025

दिनांक 09 जून, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी मनीष पुत्र श्री गजोधर, अढावल खुर्द, थाना-राम कोट, वर्तमान थाना-खैराबाद जनपद-सीतापुर का निवासी है। दहेज में अतिरिक्त 50,000/- रूपये की मॉग को लेकर दिनांक 27/28.11.2010 की रात्रि को बंदी ने मिट्टी का तेल डालकर अपनी पत्नी रूचि की जलाकर हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-775/2011 में भा०द०वि० की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट (न्यू), सीतापुर के आदेश दिनांक 15.02.2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है, बंदी द्वारा दिनांक 07.05.2025 तक अपरिहार 14 वर्ष, 01 माह तथा 16 वर्ष, 01 माह 25 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने अभियुक्त व वादी के परिजनों की सुरक्षा व न्यायहित में जेल में निरूद्ध रखना आवश्यक होने, अभियुक्त की रिहाई से दोनों पक्षों में तनाव व कसीदगी व्याप्त होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दहेज में अतिरिक्त 50,000/- की मांग कोलेकर दिनांक 27/28.11.2010 को रात्रि को बंदी ने मिट्टी का तेल डाकर अपनी पत्नी श्रीमती रूचि की जलाकर हत्या किये जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बदी मनीश पुत्र गजोधर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।